राजस्व वाद संख्याः–43/2022
सरजीत सिंह बनाम करमवीर वगै0
निर्णय दिनांकः–05/06/2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 43/2022

सरजीत सिंह पुत्र श्री खेमाराम आयु व्यस्क जाति जाट निवासी स्वामीसेही तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनु।

आवेदक

बनाम

01. कर्मवीर पुत्र झण्डुराम, आयु व्यस्क, जाति जाट निवासी स्वामीसेही तहसील सूरजगढ।
02. प्रमोद पुत्र झण्डुराम व्यस्क, जाति जाट निवासी स्वामीसेही तहसील सुरजगढ।
03. रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण, आयु व्यस्क, जाति जाट निवासी स्वामीसेही तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
04. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुरजगढ जरिये मैनेजर
05. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होलडर तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनु।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि आवेदक अपनी भूमि खसरा नम्बर 411/191 वाके ग्राम स्वामेसेही में आधुनिक तरीके से कृषि भूमि काश्त करता है एवं आबाद है उक्त फसल काश्त करने एव फसल एवं अनाज, चारा आदि को बाजार में लाने ले जाने के लिए ट्रेक्टर, ट्रक, मशीनों की आवश्यकता रहती है। आवेदक के खेत खसरा नम्बर 411/191 मे आने जाने का रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ पेश नज़री नकशे मे मार्च ए से बी दर्शाया है। उक्त रास्ता अनावेदकगण रखे जाने 188, 410/188 है बीच से कटानी रास्ता स्वामी सेही से अगवाना जाता है मे मिल जाता है। आवेदक नजरी नक्शे में मार्क ए से बी रास्ता 12 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का आशय रखता है।

आवेदन पत्र पेशकर अर्ज है कि आवेदक के खेत ख0न० 411/191 रकबा 0.97 हेक्टर स्थित ग्राम स्वामीसेही में आवागमन एव आधुनिक तरीके से खेती करने के प्रयोजन से नजरी नकशे मे मार्क ए. से बी. रास्ता 12 फुट चौड़ा खेत खसरा न0 188, व 410/188 से कायम करने का आदेश फरमाया जाये ।

बहस सुनी गई

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। उभय पक्षकार द्वारा राजीनामा एवं संलग्न नक्शा पेश किया गया। उक्त राजीनामा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–43 / 2022
सरजीत सिंह बनाम करमवीर वगै0
निर्णय दिनांकः–05/06/2025....

आदेश

आवेदक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भुमि खसरा नम्बर 411 / 191 मौजा ग्राम स्वामीसेही मे आवागमन हेतु दिनांक 26.07.2024 का मुताबिक राजीनामा एवं सलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 05/06/2025....... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़